कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

E-mail: dfo_mussoorie@rediffmail.com Telefax- 0135-2631765

पत्रांक– 328 / 12-1 दिनांक–17 / 07 /2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बाँध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत–65.0467 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड़, ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (FP/UK/WATER/40701/2019)

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–2257/ FP/UK/WATER/40701/2019, दिनांक–28.02.2020 एवं आपका ई0डी0एस0 पत्र दिनांक– 03.07.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड़, ऋषिकेश, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 585/अधि0अभि0/सौं0बॉ0परि0/2020, दिनांक 26–06–2020 (प्रति संलग्न) प्रतिउत्तर दिया गया है, जो अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को सम्बोधित तथा अन्य के साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है। विषयांकित प्रकरण में उच्च स्तर से इंगित आनलाईन ई0डी0एस0 कमियों का प्रयोक्ता एजेन्सी एंव इस प्रभाग के स्तर से बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है, जो कि आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

कं0 सं0	कमियां	निराकरण
1.	ऑन–लाईन फार्म–A, पार्ट 2 के कमाक 1 में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम सौन्दणा की 2.813 है0 भूमि की वैधानिक स्थिति Revenue Forest अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड प्रति के पार्ट–2 के कॉलम 7(अ) में उक्त भूमि को (वन पंचायत) सिविल सोयम भूमि अंकित है। सही सूचना अंकित की जाय।	बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में ऑन–लाईन पोर्टल के पार्ट 2 के कमाक–1 में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम सौन्दणा की 2.813 है0 भूमि की वैधानिक स्थिति Revenu Forest को प्रस्ताव की हार्ड प्रति के पार्ट–2 के कॉलम 7(अ) के अनुरूप उक्त भूमि को संशोधित कर Village Forest (वन पंचायत) अंकित कर लिया गया है।
2	प्रस्तावित परियोजना में कुल 8781 वृक्षों के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाप भूमि में अवस्थित 313 भी सम्मिलित किये गये हैं। कृपया ऑन–लाईन फार्म–A पार्ट 2 में केवल वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अंकित की जाय।	बिन्दु संख्या–02 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले कुल 8781 वृक्षों में से मसूरी वन प्रभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत कुल 6078 वृक्ष वन भूमि (आरक्षित वन–5183, सिविल सोयम भूमि मय जलमग्न भूमि–624 एंव वन पंचायत–53=5860 वृक्ष) तथा 218 वृक्ष नाप भूमि में प्रभावित होने निहित हैं। मसूरी वन प्रभाग के स्तर से ऑन–लाईन फार्म–A पार्ट 2 में केवल वन भूमि में प्रभावित होने वाले 5060 वृक्षों की संख्या अंकित की गयी है तथा नाप भूमि में प्रभावित होने वाले 218 वृक्षों की संख्या को अभियुक्ति (Remarks) बाक्स में अंकित किया गया है। मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची ऑन–लाईन सूची संलग्न है।
3.	ऑन–लाईन /आफॅ–लाईन फार्म–A पार्ट 1 में अपलोड /संलग्न किया गया लाभ लागत विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्व के विवरण में अन्तर के साथ ही कतिपय अन्य गणनाऐं भी त्रुटिपूर्ण है। कृपया भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लाभ लागत विश्लेषण प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण / अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास),खण्ड़, ऋषिकेश (देहरादून) द्वारा अपने पत्र सं0 585/अधि0अभि0/सौं0बॉ0परि0/2020,दि0 26–06–2020 द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि वांछित सुचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर संलग्न करते हुए ऑन–लाईन /ऑफ–लाईन फार्म–A पार्ट 1 में अपलोड की गयी है। संगत दस्तावेज की प्रति संलग्न है।

	मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के धार्मिक /पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग एंव जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के धार्मिक /पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने के प्रमाण–पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग एंव प्रभारी अधिकारी /कृते जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए ऑन–लाईन फार्म–A, पार्ट 2 के Additional information Details में यथा स्थान अपलोड किया गया है।
5.	परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने का औचित्य तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति किया जाना है, जबकि Justification में ग्रामीणों की उपज को मण्डी तक पहुँचाने, आवागमन की सुविधा उपलब्ध करानार एंव रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।	बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास),खण्ड़, ऋषिकेश (देहरादून) द्वारा अपने उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–06–2020 में उल्लेख किया गया है कि Geographical and Hydrological feasibility के अनुसार उक्त स्थल ही एकमात्र उपयुक्त स्थल है, जहॉ पर 150 MLD की जलापूर्ति हेतु बॉध का निर्माण किया जा सकता है। जिसके फलस्वरूप लगभग 19 लाख की आबादी लाभान्वित होगी तथा उक्त योजना के निर्माण के फलस्वरूप नये नलकूप की आवश्यकता में कमी तथा उनके संचालन में होन वाले भारी विद्युत व्यय व रखरखाव में कमी आयेगी। देहरादून के शहरीकरण के कारण विगत वर्षो में भूजल के स्तर में आयी गिरावट को सुधारने में परियोजना का बहुमूल्य योगदान रहा है। देहरादून शहर की आबादी की वांछित आवश्यकता हेतु पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अतः उक्त परियोजना देहरादून शहर में भारत सरकार की AMRUT जैसी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, साथ ही परियोजना निर्माण से मत्स्य पालन, पर्यटन आदि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों तथा जलीय जीव–जन्तुओं में संरक्षण में योगदान होगा।
6.	पार्ट–1 के बिन्दु "H" में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून /मसूरी वन प्रभाग एंव प्रयोक्ता एजेन्सी प्रतिवेदन /आख्या द्वारा संलग्न की जाय।	बिन्दु संख्या–06 के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–06–2020 से इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि पार्ट 1 के बिन्दु "H" में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया है, जिसे संशोधित कर दिया गया है। चूंकि यह परियोजना एक पेयजल परियोजना है एंव मात्र 5 है0 वन भूमि में Quarry (खनन क्षेत्र) की आवश्यकता है। SEIAA के अधिकारियों से हुई वार्ता के अनुसार EIA की की आवश्यकता Forest Case के In principle 1st Stage approval होने के बाद आवश्यक होगा। तदानुसार परियोजना के पर्यावरण की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार में SEIAA में आवेदन किया जायेगा।
7.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के दस्तावेजों /अभिलेखों में फॉर्म–2 (for project other than linear) संलग्न नहीं किया गया है।	बिन्दु संख्या–07 के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी के उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–06–2020 में उल्लेख है कि वांछित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के दस्तावेजों /अभिलेखों में फॉर्म–2 (for project other than linear) अपलोड किया गया है। संगत दस्तावेज की प्रति संलग्न है।
8.	ऑन–लाईन फार्म–A के Section L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि के Ownership Certificate एंव MoU में परस्पर विरोधाभास है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है, किन्तु कतिपय खण्ड़ों में भूमि की स्थिति आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश दर्शाई गयी है। सही सूचना अंकित की जाये।	बिन्दु सं0 08 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–06–2020 में उल्लेख है कि पूर्व में टिहरी बॉध के पुर्नवास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश एंव पशुपालन विभाग की अधिग्रहित भूमि की एवज में नैनबाग तहसील के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित भूमि आवंटित की गयी थी, चूंकि वर्तमान में टिहरी बॉध परियोजना के पुर्नवास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश एंव पशुपालन विभाग, ऋषिकेश के प्रस्ताव निरस्त हो चुके है, अतः उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि का उपयोग सौंग बॉध पेयजल परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में किया जाना प्रस्तावित है इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नैनबाग का पत्र संलग्न है साथ ही शासन स्तर से सहमति भी प्राप्त है।**(सहमति पत्र, संलग्न)**

	ऑन–लाईन एवं ऑफ–लाईन उपलब्ध करायी गयी हार्ड प्रति में फॉर्म–A पार्ट–2 में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में भिन्नता है।	बिन्दु संख्या–09 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित कुल 127.6712 है0 में से मसूरी वन प्रभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत ऑफ–लाईन उपलब्ध करायी गयी हार्ड प्रति में कुल 65.0467 है0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति (आरक्षित वन–47.1199 है0, प्रयोक्ता एजेन्सी एंव राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट–3.912 है0 तथा सिविल सोयम भूमि जिसमें जलमग्न एंव वन पंचायत की भूमि सम्मिलित है, 14.0148है0) तथा ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट–2 में उक्तानुसार आरक्षित /रिजर्व फारेस्ट भूमि–(47.1199+3.912) 51.0319है0, सिविल सोयम भूमि जिसमें जलमग्न एंव वन पंचायत की भूमि सम्मिलित है, 14.0148 है0 अंकित है, जो अभिलेखों के अनुसार सही है।
10.	ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 12 में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।	बिन्दु संख्या–10 के क्रम में अवगत कराना है कि मसूरी वन प्रभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित परियोजना स्थल /वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वर्तमान समय तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं पाया है। अतः ऑन–लाईन फार्म–A, पार्ट 2 के column no. 12 में प्रविष्टि कर ली गयी है।
11.	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या(Site Inspection Report) मात्र 36.6034 है0 आरक्षित वन भूमि का उल्लेख किया गया है। सिविल सोयम एंव वन पंचायत भूमि कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.337है0, नाप भूमि 20.1311है0, सिविल सोयम भूमि 7.89है0 जलमग्न एंव 36.6034 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। कृपया उक्तानुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या ऑनलाईन करते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न की जाय।	बिन्दु सं0 11 में उल्लेखित चाही गयी वांछित सूचना /अभिलेख मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
12.	ऑन–लाईन फ़ार्म–A Part-I के Section L में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऑफ़–लाईन फार्म–A Part-I में परिवारों का विस्थापन होना अंकित किया गया है। अतः सही सूचना अंकित करते हुए परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों की पुर्नवास योजना संलग्न की जाय।	बिन्दु संख्या–12 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–06–2020 से अवगत कराया गया है कि ऑन–लाईन फार्म–A Part-I के Section L में त्रुटिवश परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है। फार्म–A Part-I के Section L को संशोधित कर दिया गया है। RFCTLARR Act की विभिन्न धाराओं के तहत् पुर्नवास की कार्यवाही गतिमान है का उल्लेख किया गया है।
13.	प्रस्तावित क्षेत्र के उपचार हेतु Competent authority (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं) उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित Cat Plan संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या–13 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी के उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–06–2020 में उल्लेख है कि Cat Plan पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। आपसे दिनांक 11.03.2020 को बैठक में हुई वार्ता के क्रम में उक्त CAT Plan पर विस्तृत चर्चा भी की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के उपचार हेतु Competent authority (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं) उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित CAT Plan उपलब्ध नहीं कराया गया है।
14.	प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित की जाने वाली सड़क में अत्यधिक हेयर पिन बैण्ड दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो भू–स्खलन की स्थिति उत्पन्न कर सकते है। इस सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिक की संस्तुति /आख्या संलग्न की जाय।	बिन्दु संख्या–14 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी के उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–6–2020 में उल्लेख है कि परियोजना के लिऐ प्रस्तावित बांध निर्माण स्थल तक के सड़क निर्माण में 7.00 किमी0 लम्बाई में पूर्व निर्मित सड़क का मात्र चौड़ीकरण एंव शेष 03 किमी0 समतल भूमि में ही नवनिर्माण किया जाना है तथा इससे न ही कोई Flora एवं Fauna प्रभावित होगा एंव न ही कोई Geographical Disturbance होगा।

15.	प्रस्ताव में संलग्न Layout Plan में दिशा संकेतक प्रदर्शित नहीं किया गया है। कृपया दिशा संकेताक अंकित किया जाय।	बिन्दु संख्या–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के उक्त ई0डी0एस0 पत्र, दि0 26–06–2020 में उल्लेख है कि संलग्न Layout Plan में दिशा संकेताक प्रदर्शित किया गया है।

अतः महोदय की सेवा में निराकरण/आख्या सादर प्रेषित।

संलग्न – उक्तानुसार।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक

संख्याः– 3281 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास),खण्ड़, ऋषिकेश (देहरादून)।

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक